



Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 12 मार्च, 2015
(21 फाल्गुन, 1936 शक)

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अप्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का0आ0 4 / ह0अ011 / 1994 / धा0 8 व 7 / 2015, दिनांक 12 मार्च, 2015 - उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित भूरेवाला के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करने बारे।	45
	2. अधिसूचना संख्या का0आ0 5 / ह0अ011 / 1994 / धा0 8 व 7 / 2015, दिनांक 12 मार्च, 2015 - उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित जाटांवाला के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करने बारे।	46
	3. अधिसूचना संख्या का0आ0 6 / ह0अ011 / 1994 / धा0 8 व 7 / 2015, दिनांक 12 मार्च, 2015 - उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित कसेरला खुर्द के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करने बारे।	47
	4. अधिसूचना संख्या का0आ0 7 / ह0अ011 / 1994 / धा0 8 व 7 / 2015, दिनांक 12 मार्च, 2015 - उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित रायमाल के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करने बारे।	48
	5. अधिसूचना संख्या का0आ0 8 / ह0अ011 / 1994 / धा0 8 व 7 / 2015, दिनांक 12 मार्च, 2015 - उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित फतेहगढ़ के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	49
भाग IV	शुद्धि-पर्ची पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थान	
	कुछ नहीं।	

Price : Rs. 5-00

(xiv)

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 मार्च, 2015

संख्या का0आ04/ह0आ011/1994/घा0 8 व 7/2015.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत कोहड़ा भूरा, खण्ड नारायणगढ़, जिला अम्बाला के सभा क्षेत्र से गांव भूरेवाला के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित भूरेवाला के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
नारायणगढ़	अम्बाला	भूरेवाला (हदबस्त संख्या 78)	भूरेवाला

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

नवराज सन्धु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 12th March, 2015

No. S.O.4/H 11/1994/S 8 & 7/2015.— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of section 7 read with sub-section (1) of section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Bhurewala from the sabha area of Gram Panchayat Kohra Bhura, block Naraingarh, district Ambala and declares the area so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Bhurewala as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:—

Schedule

Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Naraingarh	Ambala	Bhurewala (Hadbast Number 78)	Bhurewala

However, this notification shall be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.